सं०: डब्ल्यू-11013/08/2014-एनबीए (पार्ट)

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)

12वॉ तल, पर्यावरण भवन,

सीजीओ काम्प्लैक्स, लोधी रोड,

नई दिल्ली, 110003

दिनांक: 14 अक्टूबर, 2014

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव

प्रभारी-ग्रामीण स्वच्छता

सभी राज्य/संघराज्य क्षेत्र

विषय:- निर्मल भारत अभियान का पुनर्गठन और ''स्वच्छता मिशन (ग्रामीण)'' द्वारा इसका प्रतिस्थापन।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय से अ०शा० समसंख्यक पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 2014 के क्रम में निम्नलिखित को सूचित किया जाता है:-

क). 2 अक्टूबर, 2014 से निर्मल भारत अभियान की स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के रूप् में पुर्नगठन किया गया है। अत: इस कार्यक्रम को 2 अक्टूबर, 2014 से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (एसबीएम-जी) कहा जाएगा।

ख). स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के नए प्रावधानों को 30 सितम्बर, 2014 के पत्र में संप्रेषित किया गया है और उन सभी मामलों में जहॉ 2 अक्टूबर, 2014 को या उसके बाद प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती ह, लागू होगा। आईएचएचएलएस के लिए रू० 12000/- (रूपये बारह हजार केवल) का बढ़ा हुआ प्रोत्साहन जल से हाथ धोने एवं शौचालय की सफाई संबंधी सुविधाओं के लिए होगा। 2 अक्टूबर 2014 से पहले जारी स्वीकृतियों के संबंध में पूर्व संशोधित प्रोत्साहन दर लागू रहेगी। कोई निर्धारित राशि लाभार्थी-अंशदान के लिए नहीं रखी गई है। यह सुझाव है कि लाभार्थी अंशदान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह आईएचएचएल की ''स्वामित्व'' है।

2. स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) के अंतर्गत फंडिंग पैटर्न निम्न प्रकार होगा:-

क्रम सं०	**कम्पोनेन्ट**	**एनबीए परियोजना के योजनागत परिव्यय के**	**अंशदान हिस्सा**

		प्रतिशत के रूप में चिन्हित राशि	**भारत सरकार**	**राज्य**	**लाभार्थी परिवार समुदाय**
क.	आईईसी, प्रारंभिक गतिविधि एवं क्षमता निर्माण	कुल परियोजना लागत का 8% तक, 3% केन्द्रीय स्तर पर उपयोग करना होगा और 5% राज्य स्तर पर उपयोग किया जायेगा	75%	25%	0%
ख.	आवर्ती निधि (रिवोल्विंग फंड)	5% तक (प्रति जिला रू० 50 लाख तक)	80%	20%	0%
ग.	**i).** व्यैक्तिक घरेलू शौचालय	पूर्ण करने के लिए वास्तविक राशि अपेक्षित	रू० 9,000/- 10,500 (90%) उत्तर पूर्व राज्यों जम्मू-कश्मीर और विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों में।	रू० 3000/- (25%)- 1200(10%) उत्तर पूर्व राज्यों जम्मू कश्मीर और विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों में	0%
घ.	**ii).** सामुदायिक स्वच्छता काम्प्लैक्स	पूर्ण कवरेज के लिए वास्तविक राशि अपेक्षित	60%	30%	10%
च.	प्रशासनिक प्रभार	परियोजना लागत का 2% तक	75%	25%	0%
छ.	सालिड/लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट (पूंजीगत लागत)	स्वीकृत सीमाओं में एसएलडब्ल्यूएम परियोजना लागत के अनुसार वास्तविक राशि	70%	30%	0%

इन आदेशों को सर्वसंबंधित की जानकारी में लाया जाए।

भवदीय

(सुजॉय मजुमदार)

निदेशक (एसबीएम-जी)

प्रतिलिपि:- राज्य समन्वयक एनबीए, सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सचिव, डीडब्ल्यूएस के पीपीएस/ संयुक्त सचिव (स्वच्छता) के पीपीएस निदेशक एनआईसी, एमओडीडब्ल्यूएस-मंत्रालय की वेबसाइट पर डालने के लिए।